रजिस्टर्ड नं0 एल0-33/एस0एम0 14.

हिमाचल प्रदेश

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 24 नवम्बर, 1990/3 अग्रहायण, 1912

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला-2, 1 अगस्त, 1990

सं0 एल0एल0आर0 (राजभाषा) बी0 (16)-12/90.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए "दि हिमाचल प्रदेश कोर्ट फीस ऐक्ट, 1968 (1968 का 8)" के, संलग्न अधिप्रमाणिक राजभाषा रूपान्तर को एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने का आदेश देते हैं। यह उक्त अधिनियम का

राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा और इसके परिणामस्वरूप भविष्य में यदि उक्त अधिनियम में कोई संशोधन करना अपेक्षित हो, तो वह राजभाषा में ही करना अनिवार्य होगा ।

हस्ताक्षरित
सचिव ।

1968 का 8

हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968

हिमाचल प्रदेश राज्य में न्यायालय फीसों के उदग्रहण के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के उन्नीसवें वर्ष में, हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय-1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय फीस अधिनियम, 1968 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "उच्च न्यायालय" से हिमाचल प्रदेश का उच्च न्यायालय अभिप्रेत है ;

(ख) "राजपत्र" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है ;

(ग) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है।

अध्याय-2

उच्च न्यायालय में फीसें

उच्च न्यायालय में फीसों का उदग्रहण।

3. वे फीसें, जो उच्च न्यायालय के लिपिकों और अधिकारियों को तत्समय संदेय हैं या उस न्यायालय में इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम अनुसूची के संख्या 9 और द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 7, 10, 11, 16 और 17 के अधीन प्रभार्य हैं, इसमें इसके पश्चात् बताई गई रीति से संग्रहीत की जायेगी।

उच्च न्यायालय में, उसकी साधारण या असाधारण अधिकारिता में फाईल किए गए दस्तावेजों आदि पर फीसें।

4. इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में फीसों से प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किस्मों में से किसी किस्म का कोई भी दस्तावेज, ऐसे उच्च न्यायालय के समक्ष,—

(क) उसकी साधारण या असाधारण आरम्भिक सिविल अधिकारिता के प्रयोग में; या

(ख) उसके अधीक्षण के अधीन न्यायालयों से अपीलों के बारे में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में;

(ग) निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में उसकी अधिकारिता के प्रयोग में ;

(घ) भारतीय संविधान के अधीन निदेश, आदेश या रिट जारी करने की उसकी अधिकारिता के प्रयोग में; या

(ङ) किसी अन्य रीति से उसकी अधिकारिता के प्रयोग में ; आने वाले किसी मामले में ऐसे न्यायालय में फाईल, प्रदर्शित या अभिलिखित या, ऐसे न्यायालय द्वारा प्राप्त की या दी न जायेगी जब तक कि ऐसे दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी ऐसे दस्तावेज के लिए उचित फीस के रूप में उपदर्शित फीस से अन्यून फीस संदत्त न कर दी गई हो।

फीस की आवश्यकता या रकम की बाबत मतभेद होने की दशा में प्रक्रिया।

5. (1) जब उस अधिकारी के, जिसका कर्तव्य यह देखना है कि इस अध्याय के अधीन कोई फीस दी जाए, और किसी वादकर्ता या अटर्नी के बीच फीस के संदाय की आवश्यकता या उसकी रकम की बाबत कोई मतभेद पैदा होता है तो वह प्रश्न जब मतभेद उच्च न्यायालय में पैदा होता है विनिर्धारक अधिकारी को निर्देशित किया जायेगा जिसका उस पर विनिश्चय तब के सिवाय अन्तिम होगा, जब कि प्रश्न उसकी राय में सार्वजनिक महत्व का है, जिस दशा में उसे वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायामूर्ति को या उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति साधारणतया या विशेषतया इस निमित्त नियुक्त करेगा, अन्तिम विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।

(2) उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायामूर्ति यह घोषित करेगा कि उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए विनिर्धारक अधिकारी कौन होगा।

अध्याय—3

अन्य न्यायालयों में लोक कार्यालयों में फीसें

मुफस्सिल न्यायालयों में या लोक कार्यालयों में फाईल किए गए दस्तावेजों आदि पर फीसें।

6. इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में प्रभार्य के रूप में विनिर्दिष्ट किस्मों में से किसी किस्म का कोई भी दस्तावेज, किसी न्यायालय में फाईल, प्रदर्शित या अभिलिखित नहीं किया जायेगा या किसी लोक अधिकारी द्वारा प्राप्त किया या दिया न जायेगा जब तक कि ऐसे दस्तावेज के बारे में उक्त अनुसूचियों में से किसी में भी ऐसे दस्तावेज के लिए उचित फीस के रूप में उपदर्शित फीस से अन्यून फीस संदत्त न कर दी गई हो।

कुछ वादों में सदेय फीसों की संगणना।

7. इसमें इसके ठीक पश्चात् वर्णित वादों में इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की संगणना नीचे लिखे अनुसार की जायेगी :—

(*i*) **धन के वादों में**—धन के वादों में (जिनके अन्तर्गत नुकसानी या प्रतिकर के अथवा भरण-पोषण, वार्षिकियों के या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों के बकाया के बाद भी हैं (दावाकृत रकम के अनुसार) :

(*ii*) **भरण-पोषण और वार्षिकियों के वादों में**—(क) भरण-पोषण और वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों के वादों में,—वाद की विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार, और यह समझा जाएगा कि ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिए संदेय दावाकृत रकम का दस गुणा है ;

(ख) भरण-पोषण और वार्षिकियों या कालावधिक रूप से संदेय अन्य धनराशियों की कटौती अथवा बढ़ौतरी के वादों में,—वाद की विषय वस्तु के मूल्य के अनुसार और यह समझा जायेगा कि ऐसा मूल्य एक वर्ष के लिये कम किए जाने वाली अथवा बढ़ाई जाने वाली राशि का दस गुणा है ;

(*iii*) **बाजार मूल्य वाली अन्य जंगम सम्पत्ति के वादों में**—अधन से भिन्न जंगम सम्पत्ति के वादों में, जहां विषय-वस्तु का बाजार मूल्य है,—वाद पत्र के पेश होने की तारीख पर ऐसे मूल्य के अनुसार ;

(*iv*) निम्न वादों में—

(क) बिना बाजार मूल्य की जंगम सम्पत्ति के वादों में,—जंगम सम्पत्ति के वादों में जहां विषय-वस्तु का बाजार मूल्य नहीं है, उदाहरणार्थ, हक सम्बन्धी दस्तावेजों के मामले में ;

(ख) अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति में अंश के अधिकार को प्रवर्तित कराने के वादों में,—किसी सम्पत्ति में इस आधार पर कि वह अविभक्त कुटुम्ब की सम्पत्ति है, अंश पाने के अधिकार को प्रवर्तित कराने के वादों में ;

(ग) घोषणात्मक डिक्री और पारिणामिक अनुतोष के वादों में,—घोषणात्मक डिक्री का आदेश अभिप्राप्त करने के वादों में, जहां पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित है ;

(घ) व्यादेश के वादों में,—व्यादेश अभिप्राप्त करने के वादों में ;

(ङ) सुखाचार के वादों में,—भूमि से उद्भूत होने वाले किसी लाभ के अधिकार (जिसके लिए इसमें अन्यथा उपबन्ध नहीं है) वादों में; और

(च) लेखाओं के वादों में,—लेखाओं के वादों में; वादपत्र या अपील के ज्ञापन में किए गए इप्सित अनुतोष के मूल्यांकन की रकम के अनुसार ;

इन सभी वादों में वादी, इप्सित अनुतोष मूल्यांकन की रकम का कथन करेगा :

परन्तु यह कि प्रत्येक मामले में न्यूनतम न्यायालय फीस तेरह रुपये होगी :

परन्तु और यह कि उप-खण्ड (ग) के अधीन आने वाले वाद में, उन मामलों में जहां पर इप्सित अनुतोष किसी सम्पत्ति के प्रति निर्देश में है, ऐसा मूल्यांकन इस धारा के पैरा (*v*) में उपबन्धित रीति द्वारा संगणित सम्पत्ति के मूल्य से अन्यून नहीं होगा।

(*v*) भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के वादों में,—भूमि, गृहों और उद्यानों के कब्जे के वादों में विषय-वस्तु के मूल्य के अनुसार, और यह समझा जायेगा कि ऐसा मूल्य:—

जहां विषय वस्तु भूमि है, और—

(क) जहां भूमि, सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है, या ऐसी सम्पदा का भाग रूप है और कलक्टर के रजिस्टर में यह अभिलिखित है कि उस पर ऐसा राजस्व पृथकतः निर्धारित है, और ऐसा राजस्व स्थायी रूप से परिनिर्धारित है, वहां—ऐसे संदेय राजस्व का दस गुणा है ;

(ख) जहां भूमि, सरकार को वार्षिक राजस्व देने वाली सकल सम्पदा या सम्पदा का निश्चित अंश है या ऐसा सम्पदा का भाग रूप है, और यथा-पूर्वोक्त अभिलिखित है; और ऐसा राजस्व परिनिर्धारित है

किन्तु स्थायी रूप से नहीं, वहां---इस प्रकार संदेय राजस्व का पांच गुणा है ;

(ग) जहां भूमि, ऐसा कोई भी राजस्व नहीं देती है या ऐसे संदाय से भागत: छूट प्राप्त है या ऐसे राजस्व के बदले किसी नियत संदाय से भारित है, और वाद पत्र पेश उपस्थित करने की तारीख के ठीक पूर्व के वर्ष में उस भूमि से शुद्ध लाभ उदभूत हुए हैं, वहां---ऐसे शुद्ध लाभों का पंद्रह गुणा है; किन्तु जहां ऐसे कोई भी शुद्ध लाभ उस से उदभूत नहीं हुए हैं, वहां वह रकम है जो न्यायालय पड़ौस की वैसी ही भूमि के मूल्य के प्रति निर्देश से उस भूमि के लिए प्राक्कलित करें :

(घ) जहां भूमि सरकार को राजस्व देने वाली किसी सम्पदा का भाग है किन्तु ऐसी सम्पदा का निश्चित अंश नहीं है और यथापूर्ववर्णित पृथक है निर्धारित नहीं है, वहां उस भूमि का बाजार मूल्य है ।

स्पष्टीकरण:---इस पैरा में यथा प्रयुक्त "सम्पदा" शब्द से अभिप्रेत है वह भूमि जो राजस्व का संदाय करने के लिए दायी है जिसके लिए भू-स्वामी या कृषक या रैयत में सरकार से अलग वचनबद्ध निष्पादित किया है या जिस पर ऐसे वचनबद्ध के अभाव मे राजस्व पृथकत: निर्धारित होता ;

(ङ) गृहों और उद्योनों के वादों में,-- जहां विषय-वस्तु कोई गृह या उद्यान है, वहां उस गृह या उद्यान के बाजार मूल्य के अनुसार;

(*vi*) शुफाधिकार का प्रवर्तन कराना.---शुफाधिकार प्रवर्तित कराने के वादों में, उस भूमि, गृह या उद्यान जिसके बारे में अधिकार का दावा किया जाए इस धारा के पैरा (V) के अनुसार संगणित मूल्य के अनुसार ;

(*vii*) भू-राजस्व के समनुदेशिति के हित के लिए,---भू-राजस्व के समनुदेशिति के हित के लिये वादों में---वाद पत्र के पेश किए जाने की तारीख के ठीक पहले के वर्ष के उस के इस प्रकार के शुद्ध लाभों का पन्द्रह गुणा ।

(*viii*) कुर्की अपास्त कराना.---कुर्की अपास्त कराने के वादों में,---भूमि की अथवा भूमि में हित या राजस्व में कुर्की को अपास्त कराने के वादों में,---उस रकम के अनुसार जिसके लिए वह भूमि या हित कुर्क किया गया था :

परन्तु जहां ऐसी रकम, उस भूमि या हित के मूल्य से अधिक है वहां फीस की रकम की संगणना ऐसे की जायेगी मानों वह दावा उस भूमि या हित के कब्जे के लिए हो ।

(*ix*) मोचन के वादों में.---बन्धकदार के विरुद्ध बंधक सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वादों में,---बन्धक-पत्र द्वारा अभिव्यक्त प्रतिभूत मूलधन के आधे के अनुसार; पुरोबन्धित कराना,---और बन्धकदार द्वारा बंधक के पुरोबन्धित कराने के वादों में, या जहां बंधक सशर्त विक्रय द्वारा किया जाता है वहां विक्रय को आत्यंतिक घोषित कराने के वादों में, बन्धक-पत्र द्वारा अभिव्यक्त प्रतिभूत मूलधन के अनुसार।

(*x*) विनिर्दिष्ट पालन के लिये.---निम्नलिखित विनिर्दिष्ट पालन के वादों में,---

(क) विक्रय की संविदा के वादों में,---प्रतिफल की रकम के अनुसार ;
(ख) बंधक की संविदा क वादों में,---करार म प्रतिभूत रकम के अनुसार ;

(ग) पट्टे की संविदा के बादों में,—जुर्माना या प्रीमियम (यदि कोई हो) और अवधि के पहले वर्ष के दौरान संदाय के लिए करार किए गए भाटक के योग की रकम के अनुसार ;

(घ) पंचाट के बादों में—विवादग्रस्त रकम या सम्पत्ति के मूल्य के अनुसार ;

(*xi*) भू-स्वामी और अभिधारी के बीच.—भू-स्वामी और अभिधारी के बीच निम्नलिखित बादों में :—

(क) अभिधारी से पट्टे का प्रतिलेख परिदत्त कराने के लिए;

(ख) अधिभोगाधिकार रखने वाले अभिधारी के भाटक की वृद्धि के लिए ;

(ग) भू-स्वामी से पट्टा परिदत्त कराने के लिए ;

(घ) अभिधारी से, जिसके अन्तर्गत अभिधृति के पर्यवसान के पश्चात् अभिधारण करने वाला अभिधारी आता है, स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए;

(ङ) बेदखली के नोटिस का प्रतिवाद करने के लिए ;

(च) उस स्थावर सम्पत्ति के अधिभोग के प्रत्युद्धरण के लिए जिससे भूस्वामी ने किसी अभिधारी को अवैध रूप से बेदखल कर दिया है ; और

(छ) भाटक के उपशमन के लिए—वाद के पेश किए जाने की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लिए संदाय उस स्थावर सम्पत्ति के जिसमें प्रतिवाद में निर्देश है, भाटक की रकम के अनुसार।

प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरूद्ध अपील के ज्ञापन पर फीस ।

8. भूमि का लोक प्रयोजनार्थ अर्जन करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियम के अधीन प्रतिकर सम्बन्धी आदेश के विरुद्ध अपील के ज्ञापन पर, इस अधिनियम के अधीन संदेय फीस की संगणना अधिनिर्णीत रकम और अपीलार्थी द्वारा दावाकृत रकम के बीच अन्तर के अनुसार की जायगी।

शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य के विनिश्चयन की शक्ति ।

9. यदि न्यायालय यह विचार करने का कारण देख कि धारा 7 के पैरा (*v*) और (*vi*) में यथावर्णित किसी ऐसी भूमि, गृह या उद्यान के वार्षिक शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य का प्राक्कलन गलत तौर पर किया गया है तो उन में वर्णित किसी वाद में संदेय फीस की संगणना के प्रयोजनार्थ, न्यायालय, किसी उचित व्यक्ति को यह निदेश देने वाला कमीशन निकाल सकेगा कि वह आवश्यक ऐसे स्थानीय या अन्य अन्वेषण करे जो हो, और उस पर न्यायालय को रिपोर्ट दें।

प्रक्रिया जहां शुद्ध लाभ या बाजार मूल्य गलत तौर पर प्राक्कलित हुआ है।

10. (*i*) यदि किसी ऐसे अन्वेषण के परिणामस्वरूप न्यायालय यह पाता है कि शुद्ध लाभों या बाजार मूल्य का प्राक्कलन गलत तौर पर किया गया है तो न्यायालय, यदि प्राक्कलन अत्याधिक हुआ है तो ऐसी फीस के रूप में संदत्त आधिक्य को स्वविवेकानुसार वापस कर सकेगा, किन्तु यदि प्राक्कलन अपर्याप्त हुआ है तो न्यायालय वादी से अपेक्षा करेगा कि वह उतनी अतिरिक्त फीस दे जितनी उक्त बाजार-मूल्य या शुद्ध लाभों का प्राक्कलन सही तौर पर किए जाने पर संदेय होती।

(*ii*) ऐसी दशा में बाद अतिरिक्त फीस संदत्त किए जाने तक रोक दिया जायेगा और यदि अतिरिक्त फीस, ऐसे समय के अन्दर जो न्यायालय नियत करेगा, संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जायेगा।

अंतःकालीन लाभों या लेखों के लिए वादों में प्रक्रिया, जब डिक्रीत रकम दावाकृत रकम से अधिक है ।

11. (1) अंतःकालीन लाभों के लिए या स्थावर सम्पत्ति और अंतःकालीन लाभों के लिए लेखा के लिए वादों में, यदि लाभ या डिक्रीत रकम दावाकृत लाभ मे या उस रकम से, जिस पर वादी ने इष्टित अनुतोष का मूल्यांकन किया है, अधिक है तो डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि उचित अधिकारी को वह अन्तर संदत्त न कर दिया जाए, जो वस्तुतः संदत्त फीस और संदेय उस फीस में है जो इस प्रकार डिक्रीत संपूर्ण लाभों या रकम के समावेश वाद में होने पर संदाय होती ।

(2) जहां अन्तःकालीन लाभ की रकम को अभिनिश्चित डिक्री के निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है वहां, यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो डिक्री का आगे निष्पादन तब तक क लिए रोक दिया जायेगा जब तक कि वह अन्तर संदत्त नहीं कर दिया जाये जो वस्तुतः संदत्त फीस और उस फीस में है जो ऐसे अभिनिश्चित संपूर्ण लाभ का समावेश वाद में होने पर संदेय होती और यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अन्दर जो न्यायालय नियत करेगा संदत्त नहीं की जाती है तो वाद खारिज कर दिया जायेगा ।

मूल्यांकन संबंधी प्रश्नों का विनिश्चय ।

12. (1) वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर इस अध्याय के अधीन प्रभार्य किसी फीस की रकम के अवधारण क प्रयोजनार्थ मूल्यांकन संबन्धी हर प्रश्न का विनिश्चय उस न्यायालय द्वारा किया जायेगा जिसमें, यथास्थिति, ऐसा वाद पत्र या ज्ञापन फाईल किया जाता है और जहां तक वाद के पक्षकारों का संबंध है, ऐसा विनिश्चय अन्तिम होगा ।

(2) किन्तु जब कभी ऐसा कोई वाद अपील, निर्देश या पुनरीक्षण न्यायालय के समक्ष आता है तब, यदि उस न्यायालय का यह विचार है कि उक्त प्रश्न का विनिश्चय गलत तौर पर किया गया है जिससे राजस्व का अपाय हुआ है तो, वह उस पक्षकार से, जिसने ऐसी फीस संदत्त की है, अपेक्षा करेगा कि वह उतनी अतिरिक्त फीस संदत्त करे जो उस प्रश्न का विनिश्चय सही तौर पर किए जाने पर संदेय होती और धारा 10 की उप-धारा (2) के उपबंध लागू होंगे ।

अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस की वापसी ।

13. यदि ऐसी किसी अपील या वाद पत्र जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में वर्णित आधारों में से किसी आधार पर निचले न्यायालय द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, ग्रहण कर लिए जाने का आदेश दिया जाता है या यदि अपील में कोई वाद निचले न्यायालय द्वारा दोबारा विनिश्चय के लिए उसी संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश इकतालीस (41) नियम 23 के अधीन प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो अपील न्यायालय, अपीलार्थी को अपील का एक प्रमाण-पत्र अनुदत्त करेगा जो अपील के ज्ञापन पर संदत्त फीस को पूरी रकम कलक्टर से वापस पाने के लिए उसे प्राधिकृत करेगा : 1906

परन्तु यदि अपील में, प्रतिप्रेषण की दशा में, प्रतिप्रेषण का आदेश वाद की संपूर्ण विषयवस्तु के लिए नहीं है तो इस प्रकार अनुदत्त प्रमाण-पत्र अपीलार्थी को, विषयवस्तु के उस भाग या उन भागों पर, जिनके बारे में वाद प्रतिप्रषित किया गया है, मूलतः संदेय फीस से अधिक फीस पाने के लिए प्राधिकृत न करेगा ।

निणय के पुनर्विलोकन के लिए आवदन पर फीस की वापसी ।

14. जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, डिक्री की तारीख से नब्बवें दिन पर या तत्पश्चात् पेश किया जाता है वहां न्यायालय, तब क सिवाय जब कि विलम्ब आवेदक की ढिलाई से कारित हुआ है, उसे स्वविवेकानुसार एक प्रमाण-पत्र अनुदत्त कर सकगा जो उसे आवेदन कर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पान के लिए प्राधिकृत करेगा, जितनी उस फीस से अधिक है जो आवदन के ऐसे दिन के पूर्व पेश किए जाने की दशा में संदेय होती ।

जहां न्यायालय अपना पूर्व विनिश्चय भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां फीस की वापसी।

15. जहां निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन ग्रहण कर लिया जाता है, और जहां, पुनः सुनवाई पर न्यायालय अपने पूर्व विनिश्चय को विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है या उपांतरित कर देता है वहां आवेदक न्यायालय से एक प्रमाण-पत्र पाने का हकदार होगा जो उस आवेदन पर संदत्त फीस में से उतनी फीस कलक्टर से वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी उस फीस से अधिक है जो ऐसे न्यायालय में दिए गए किसी अन्य आवेदन पर इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के संख्यांक 1 के खण्ड (ख) या खण्ड (घ) के अधीन संदेय होती :

किन्तु, इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात आवेदक को ऐसे प्रमाण-पत्र का हकदार नहीं बनायेगी, जहां उलटाव या उपांतरण, पूर्णतः या भागतः ऐसे नए साक्ष्य के कारण होता है, जो आरंभिक सुनवाई में पेश किया जा सकता था।

बाहुल्यपूर्ण वाद।

16. जहां वाद में दो या अधिक सुस्पष्ट विषय समाविष्ट हैं वहां वाद-पत्र या अपील के ज्ञापन पर ऐसे विषयों में से हर एक का अलग-अलग समावेश करने वाले वादों में वाद-पत्रों या अपील के ज्ञापनों पर इस अधिनियम के अधीन दायी फीसों के योग की रकम प्रभार्य होगी ।

इस धारा के पूर्ववर्ती भाग की कोई भी बात सिविल प्रक्रिय संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 11 नियम 6, द्वारा प्रदत्त शक्तियों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जायेगी ।

परिवादियों की लिखित परीक्षा।

17. जब ऐसे व्यक्ति की, जो संदोष परिरोध या संदोष अवरोध के अपराध का, या ऐसे किसी भी अपराध से, जिसके लिए पुलिस अधिकारी वारण्ट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, भिन्न किसी अपराध का परिवाद करता है और जिसने पहले ही कोई ऐसी अर्जी पेश नहीं की है जिस पर इस अधिनियम के अधीन फीस उद्गृहीत की गई है, 1898 का 5 प्रथम या एक भाग परीक्षा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्धों के अधीन लेखबद्ध की जाए तब परिवादी एक रुपये पच्चीस पैसे की फीस का संदाय करेगा जब तक कि न्यायालय ऐसे संदाय का परिहार करना ठीक नहीं समझता है।

कतिपय दस्तावेजों की छूट।

18 इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात निम्नलिखित दस्तावेजों को किसी फीस से प्रभार्य नहीं बनायेगी :—

(i) संघ के किसी भी सशस्त्र बलों में से किसी के ऐसे सदस्य द्वारा जो सिविल नियोजन में नहीं है, वाद संस्थित करने के लिए प्रतिरक्षा करने के लिए निष्पादित मुख्तारनामा ।

(ii) वाद की प्रथम सुनवाई के पश्चात् न्यायालय द्वारा मांगे गए लिखित कथन।

(iii) वसीयत का प्रोबेट या प्रशासनपत्र जहां सम्पत्ति का मूल्य या रकम जिसके बारे में वसीयत का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया जायेगा, एक हजार रुपये से अनधिक है।

(iv) कलक्टर या भू-राजस्व का व्यवस्थापन करने वाले अन्य अधिकारी या राजस्व बोर्ड या आयुक्त को भूमि के निर्धारण या उस पर अधिकार या उसमें के हित के अभिनिश्चित किए जाने से संबद्ध मामलों में संबंध में दिया गया आवेदन या अर्जी, यदि वह आवेदन या अर्जी ऐसे व्यवस्थापन के अन्तिम पुष्टीकरण के पहले पेश की गई है।

(v) सिंचाई के लिए सरकार जल के प्रदाय के सम्बध में आवेदन ।

(vi) खेती का विस्तार करने या भूमि के त्याग करने की इजाजत के लिए भू राजस्व के किसी अधिकारी के समक्ष ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो सीधे सरकार से किए गए वचनबध के अधीन ऐसी भूमि का धारक है जिसका राजस्व परिनिर्धारित तो है किन्तु स्थायी रूप से नहीं, पेश किया गया आवेदन ।

(vii) भूमि के त्याग के लिए या भाटक का वृद्धि के लिए दी गई सूचना की तामील के लिए आवेदन।

(viii) अभिकर्ता को करस्थम करने का प्राधिकार ।

(ix) साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिए हाजिर होने के लिए किसी साक्षी या अन्य व्यक्ति को समन करने के लिए, या ऐसे प्रदर्श को, जो ऐसा शपथपत्र नहीं है जो न्यायालय में पेश किए जाने के आसन्न प्रयोजन के लिए तैयार किया गया है, पेश या फाईल करने के बारे में प्रथम आवेदन (जो उस याचिका से भिन्न है जिसमें अपराधिक आरोप या इत्तला अन्तर्विष्ट है) ।

(x) दाण्डिक मामलों में जमानतनामें, अभियोजन करने या साक्ष्य देने के लिए मुचलके और स्वीच उपसजाति के लिये या अन्य बातों के लिए मुचलके।

(xi) किसी अपराध के बारे में पुलिस अधिकारी को या उसके समक्ष प्रस्तुत, पेश किए जाने वाले या रखे जाने वाली याचिका, आवेदन, आरोप या इत्तला ।

(xii) कैदी या अन्य व्यक्ति द्वारा जो विवाध्यता के या किसी न्यायालय या उसके अधिकारियों के अवरोध के अधीन है, याचिका।

(xiii) लोक सेवक, (भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में यथा परिभाषित) नगरपालिका अधिकारी, या किसी रेल कम्पनी के अधिकारी या सेवक का परिवाद। 1860 45

(xiv) सरकार द्वारा आवेदक को शोध्य धन के संदाय के लिए आवेदन।

(xv) सरकारी वनों में काष्ट काटने की अनुज्ञा के लिए या ऐसे वनों से अन्यथा संबद्ध आवेदन।

(xvi) किसी नगरपालिका कर के विरुद्ध अपील की याचिका।

(xvii) लोक प्रयोजनों के लिए संपत्ति के अर्जन से संबधित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन प्रतिकर के लिए आवेदन।

(xviii) इंडियन क्रिश्चियन मैरिज ऐक्ट, 1872 की धारा 45 और 48 के अधीन याचिकायें। 1872 15

अध्याय–4

प्रोबेट, प्रशासनपत्र और प्रशासन-प्रमणपत्र

जहां बहुत अधिक न्यायालय फीस संदत्त की गई हो वहां अवमुक्ति।

19. जहां वसीयत के प्रोबेट के लिए या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृत्तक की सपत्ति का प्राक्कलन उस मूल्य से, जो तत्पश्चात् साबित होता है, अधिक पर किया है और परिणामस्वरूप उसने उस पर बहुत अधिक न्यायालय फीस सदत्त की है, वहां, यदि उस सपत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चयन के छः मास के अन्दर ऐसा व्यक्ति,––

(क) उस स्थानीय क्षेत्र के, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पेश करता है ;

(ख) ऐसे प्राधिकारी को मृतक की सपत्ति की शपथ-पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा सत्यापित, एक विशिष्टियुक्त तालिका और मूल्यांकन प्रतिदत्त करता है ; और

(ग) यदि ऐसे प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर, विधि द्वारा अपेक्षित से अधिक फीस संदत्त की गई थी, तो वहां उक्त प्राधिकारी—

(क) प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर के स्टांप को, यदि वह पहले ही रद्द न किया जा चुका हो, रद्द कर सकेगा;

(ख) उस पर जो न्यायालय फीस दी जानी चाहिये थी, उसे सूचित करने के लिए, अन्य स्टांप प्रतिस्थापित कर सकेगा; और

(ग) स्वविवेकानुसार, उनके अन्तर का संदाय वैसे ही अनुज्ञात कर सकेगा जैसे खराब हुए स्टाम्पों की दशा में किया जाता है या उसका प्रतिसंदाय धन के रूप में कर सकेगा ।

जहां वे ऋण जो मृत व्यक्ति द्वारा शोध्य थे उसकी संपदा में से चुकाए गए हैं वहां अवमुक्ति ।

20. जब कभी धारा 19 में निर्दिष्ट प्राधिकारी की समाधानप्रद रूप में यह साबित कर दिया जाता है कि निष्पादक या प्रशासक ने मृतक द्वारा शोध्य ऋणों की इतनी रकम चुकाई है जो संपदा की रकम या मूल्य में से काटी जाने पर, उसे घटाकर इतनी धनराशि कर देती है कि यदि वह सपदा की पूरी सकल रकम या उसका पूरा सकल मूल्य होती तो उस संपदा के बारे में अनुदत्त प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर इस अधिनियम के अधीन उस पर वास्तव में दी गई फीस से कम फीस संदत्त करनी पड़ती, तब ऐसा प्राधिकारी उस अन्तर को वापस कर सकेगा, परन्तु यह तब जब कि उसका दावा ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र की तारीख के पश्चात तीन वर्ष के भीतर किया जाए।

किन्तु जब, किसी विधिक कार्यवाही के कारण मृतक द्वारा शोध्य ऋण अभिनिश्चित या संदत्त नहीं किए गए हैं या उसकी चीजबस्त प्रत्युद्धत नहीं हुई है, और उपलब्ध नहीं हुई है, और उसके परिणामस्वरूप निष्पादक या प्रशासक ऐसे अन्तर की वापसी का दावा उक्त तीन वर्ष की अवधि के अन्दर करने से निवारित हो गया है तब उक्त प्राधिकारी ऐसा दावा करने के लिए ऐसा अतिरिक्त समय अनुज्ञात कर सकेगा जो उन परिस्थितियों में युक्तियुक्त प्रतीत हो ।

अनेक अनुदानों की दशा में अवमुक्ति ।

21. (1) जब कभी संपदा की संपूर्ण संपत्ति के बारे में प्रोबेट या प्रशासन-पत्र का अनुदान किया जा चुका है या किया जाता है और इस अधिनियम के अधीन उस पर प्रभार्य पूरी फीस ी है या दी जाती है, तब इस अधिनियम के अधीन कोई फीस प्रभार्य नहीं होगा सम्पदा को सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके भाग के बारे में वैसा ही अनुदान किया जा

(2) जब कभी ऐसा अनुदान किसी सम्पत्ति के बारे में किया जा चुका है या किया जाता है, जो किसी सम्पदा की भागभूत है, तो इस अधिनियम के अधीन वस्तुत: संदत फीस की रकम सब काट ली जायेगी जब उसी संपदा की समरूप संपत्ति या उसमें सम्मिलित सम्पत्ति जिसके संबंध में पूर्ववर्ती अनुदान है वैसा ही अनुदान किया जाता है ।

न्यास संपत्ति के बारे में प्रोबेटों की विधि मान्यता की घोषणा यद्यपि वह संपत्ति न्यायालय फीस देने में सम्मिलित नहीं की गई है ।

22. किसी मृत व्यक्ति की वसीयत का प्रोबेट या उसकी चीजवस्तु का प्रशासन-पत्र जो इसके पहले या इसके पश्चात् अनुदत्त होता है विधिमान्य समझा जायेगा और ऐसी किसी जंगम या स्थावर संपत्ति के, जिस पर मृतक का कब्जा या हक, पूर्णत: या भागत: न्यासी के रूप में था, प्रत्युद्धरण, अन्तरण या समनुदेशन के लिए उसके निष्पादकों या प्रशासकों द्वारा काम में लाया जा सकेगा यद्यपि ऐसी सम्पत्ति की रकम या मूल्य संपदा की रकम या मूल्य में सम्मिलित नहीं किया गया है जिसके बारे में न्यायालय फीस ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर दी गई थी ।

उस दशा के लिए उपबन्ध जब प्रोबेट आदि पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है।

23 जहां किसी व्यक्ति ने प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन करते समय मृतक की संपदा का प्राक्कलन उस मूल्य से जो तत्पश्चात् साबित होता है, कम पर किया है और परिणामस्वरूप उसने उस पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की है वहां उस स्थानीय क्षेत्र का, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया गया है, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा मृतक की सम्पदा के मूल्य का सत्यापन किए जाने पर और उस सम्पूर्ण न्यायालय फीस का जो उस पर ऐसे मूल्य के बारे में मूलतः संदत्त की जानी चाहिये थी उस अतिरिक्त शास्ति सहित संदाय किए जाने पर जो ऐसी उचित न्यायालय फीस की पांच गुनी होगी जब प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान की तारीख से एक वर्ष के भीतर पेश किया जाता है, और उस दशा में बीस गुनी होगी, जब वह उस तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पेश किया जाता है, ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर मूलतः संदत्त न्यायालय फीस बिना किसी कटौती किए जाने पर प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को सम्यक् रूप से स्टाम्पित करा सकेगा.

परन्तु यदि आवेदन, संपदा का सही मूल्य अभिनिश्चय के और इस तथ्य का कि प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर आरम्भ में बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई थी, पता लगने के पश्चात् छह मास के भीतर किया जाता है और यदि उक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसी फीस भूल के या उस समय यह ज्ञात कि सम्पदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का था, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप, और कपट करने के आशय से या उचित न्यायालय फीस के संदाय में विलम्ब करने के आशय के बिना, संदत्त की गई थी तो उक्त प्राधिकारी उक्त शास्ति का परिहार कर सकेगा, और जो फीस उस पर आरम्भ में संदत्त की जानी चाहिए थी उसे पूरा करने में जितनी कमी है केवल उसी के संदाय पर प्रोबेट या प्रशासन-पत्र को सम्यक् रूप से स्टांपित करा सकेगा।

धारा 23 के अधीन प्रशासन पत्र स्टांपित किए जाने के पहले प्रशासक का का उचित प्रतिभूति देना।

24. उस प्रशासन-पत्र की दशा में जिस पर आरम्भ में बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है, उक्त प्राधिकारी से 5.23 में निर्दिष्ट रीति में सम्यक् रूप से स्टांपित तब तक नहीं करायेगा जब तक प्रशासक उस न्यायालय को जिसने प्रशासन-पत्र अनुदत्त किया है ऐसी प्रतिभूति नहीं दे देता है जैसी यदि मृतक की संपदा का संपूर्ण मूल्य उस समय अभिनिश्चित हो जाता तो विधि के अनुसार उसके अनुदान के समय दी जानी चाहिये थी।

न्यून संदाय का पता लगने के छह मास के भीतर निष्पादन आदि का प्रोबेट आदि पर पूर्ण न्यायालय फीस का संदाय न करना।

25 जहां किसी भूल के या उस समय यह बात कि संपदा का कोई विशिष्ट भाग मृतक का था, ज्ञात न होने के परिणामस्वरूप किसी प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर बहुत कम न्यायालय फीस संदत्त की गई है, वहां, यदि ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अधीन कार्य करने वाला कोई निष्पादक या प्रशासक, भूल का या उस चीज वस्तु का, जिसका मृतक की संपत्ति होना उस समय ज्ञात नहीं था, पता लगने के पश्चात्, छह मास के भीतर उक्त प्राधिकारी को आवेदन नहीं करता है और उस फीस की कमी को पूरा करने के लिए जो ऐसे प्रोबेट या प्रशासन-पत्र पर आरम्भ में दी जानी चाहिये थी संदाय नहीं करता है तो उसको एक हजार रुपये की धनराशि और उतनी अतिरिक्त धनराशि जो उचित न्यायालय में फीस की कमी के दस प्रतिशत के बराबर हो, समपहृत की जायेगी।

प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के आवेदनों की सूचना का राजस्व प्राधिकारियों को दिया जाना और उस पर प्रक्रिया ।

26. (1) जहां प्रोबेट या प्रशासनपत्र के लिए आवेदन उच्च न्यायालय से भिन्न, किसी न्यायालय को किया जाता है वहां न्यायालय आवेदन की सूचना कलक्टर को दिलायेगा ।

(2) जहां यथापूर्वोक्त आवेदन उच्च न्यायालय में किया जाता है वहां उक्त न्यायालय उस आवेदन की सूचना मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी को दिलायेगा ।

(3) वह कलक्टर जिसकी राजस्व अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मृतक की संपत्ति या उसका कोई भाग है, किसी भी समय, किसी ऐसे मामले के, जिसमें प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन किया गया है, अभिलेख का निरीक्षण कर या करा सकेगा और उसकी प्रतिलिपियां ले या लिवा सकेगा, और यदि ऐसे निरीक्षण पर या अन्यथा, उसकी यह राय है कि अर्जीदार ने मृतक की संपदा का मूल्य अवप्राक्कलित किया है तो यदि कलक्टर, यह ठीक समझता है तो वह अर्जीदार से (स्वयं या अभिकर्ता द्वारा) हाजिर होने की अपेक्षा कर सकेगा और साक्ष्य ले सकेगा और मामले की ऐसी रीति से जांच कर सकेगा जैसी वह ठीक समझता है, और यदि, फिर भी उसकी राय है कि संपत्ति का मूल्य अवप्राक्कलित किया है तो वह अर्जीदार से मूल्यांकन को संशोधित करने की अपेक्षा कर सकेगा ।

(4) यदि अर्जीदार मूल्यांकन को, ऐसे संशोधित नहीं करता है कि कलक्टर का उससे समाधान हो जाए तो जिस न्यायालय के समक्ष प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के लिए आवेदन किया गया था उससे उस संपत्ति के सही मूल्य की जांच करने के लिए कलक्टर समावेदन कर सकेगा :

1925 का 39

परन्तु भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 317 द्वारा अपेक्षित तालिका के प्रदर्शन की तारीख से छह मास के अवसान के पश्चात ऐसा कोई भी समावेदन नहीं किया जायेगा ।

(5) यथापूर्वोक्त आवेदन किए जाने पर, न्यायालय तदनुसार जांच करेगा/करायेगा और यथाशक्य निकटतम सही मूल्य का, जो मृतक की सम्पत्ति का प्राक्कलित किया जाना चाहिए था, निष्कर्ष, अभिलिखित करेगा और कुलैक्टर जांच का पक्षकार समझा जायेगा ।

(6) उप-धारा (5) के अधीन किसी ऐसी जांच प्रयोजनों के लिए न्यायालय या वह व्यक्ति जो जांच करने के लिए न्यायालय द्वारा प्राधिकृत किया गया है, प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अर्जीदार की परीक्षा (चाहे स्वयं या कमीशन द्वारा) शपथ पर कर सकेगा और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा जो संपत्ति के सही मूल्य को साबित करने के लिए पेश किया जाए और ऐसा व्यक्ति अपने द्वारा लिए गए साक्ष्य न्यायालय को वापिस कर देगा और जांच के परिणाम की रिपोर्ट देगा और ऐसी रिपोर्ट तथा इस प्रकार लिया गया साक्ष्य, कार्यवाही में साक्ष्य होंगे और न्यायालय, तब के सिवाय जब कि उसका वह समाधान हो जाता है कि रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करेगा ।

(7) उप-धारा (5) के अधीन अभिलिखित न्यायालय का निष्कर्ष अन्तिम होगा किन्तु उसके कारण धारा 23 के अधीन किसी आवेदन का मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी द्वारा ग्रहण किया जाना और निपटाया जाना वर्जित न होगा ।

(8) राज्य सरकार उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने में कलैक्टरों के मार्गदर्शन के लिए नियम बना सकेगी ।

प्रोबेट और प्रशासन-पत्र के बारे में न्यायालय फीस का संदाय ।

27. (1) अर्जीदार को प्रोबेट या प्रशासन पत्र के अनुदान का हकदार बनाने वाला कोई भी आदेश, ऐसे अनुदान के लिए किये गए आवेदन पर तब तक नहीं किया जायेगा जब तक अर्जीदार न्यायालय में सम्पत्ति का मूल्यांकन तृतीय अनुसूची में उपवर्णित रूप म फाईल नही कर देता है, और न्यायालय का समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसे मूल्यांकन पर प्रथम अनुसूची के संख्यांक 9 में वर्णित फीस का संदाय हो गया है।

(2) कलैक्टर द्वारा धारा 26 की उप-धारा (4) के अधीन किए गए किसी समावेदन के कारण प्रोबेट या प्रशासन-पत्र के अनुदान में कोई विलम्ब नहीं किया जायेगा।

शास्तियों आदि की वसूली।

28. (1) धारा 26 की उप-धारा (6) के अधीन की गई जांच पर जितनी अधिक फीस संदेय पाई गई है उसे और धारा 25 के अधीन कोई शास्ति या समपहरण की, मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी के प्रमाण पत्र पर, किसी भी कुलक्टर द्वारा निष्पादक या प्रशासक से ऐसे वसूल किया जा सकेगा मानों वह राजस्व का बकाया हो।

(2) मुख्य नियन्त्रक राजस्व प्राधिकारी यथापूर्वोक्त ऐसी किसी शास्ति या समपहरण का अथवा धारा 23 के अधीन शास्ति का कोई भाग या धारा 23 के अधीन किसी न्यायालय फीस का, जो उसे पूरी न्यायालय फीस से जिसका संदाय किया जाना चाहिए था, अधिक है, पूर्णत: या भागत: परिहार कर सकेगा।

प्रोबेटों या प्रशासन-पत्रों को धारा 6 और 37 का लागू न होना।

29. धारा 6 या धारा 37 में की कोई भी बात प्रोबेटों या प्रशासन पत्रों को लागू नहीं होगी।

अध्याय-5

आदेशिका फीसें

आदेशिकाओं के खर्च के बारे में नियम।

30. (1) उच्च न्यायालय, यथाशक्यशीघ्र, निम्नलिखित बातों के लिये नियम बनायेगा :—

(क) ऐसे न्यायालय द्वारा अपनी अपीली अधिकारिता में निकाली गई और ऐसी अधिकारिता को स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थापित अन्य सिविल न्यायालयों द्वारा निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें ;

(ख) ऐसी सीमाओं के भीतर स्थापित दण्ड न्यायालयों द्वारा उन अपराधों के मामले में जो अपराधों से भिन्न है जिनके लिए पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं, निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें; तथा

(ग) उस व्यक्ति और अन्य सब व्यक्तियों का पारिश्रमिक जो न्यायालय की इजाजत से आदेशिकाओं की तामील या निष्पादन में नियोजित है।

(2) उच्च-न्यायालय उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए नियमों में, समय-समय पर परिवर्तन और परिवर्धन कर सकेगा।

(3) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए सब नियम और उप-नियम (2) के अधीन किए गए सब परिवर्तन और परिवर्धन, राज्य सरकार द्वारा पुष्ट किए जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

(4) जब तक इस धारा के अधीन, कोई नियम बनाए और प्रकाशित न किए जाए तब तक आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उद्ग्रहणीय फीसें उद्गृहीत की जाती रहेंगी और इस अधिनियम के अधीन उद्ग्रहणीय फीसें समझी जायेंगी।

कतिपय आदेशिकाओं के लिए छूट।

31. (1) धारा 30 या तद्धीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित की ओर से आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं होगी :—

(क) लोक अधिकारी द्वारा अपनी पदीय हैसियत में कार्य करते समय, प्रस्तुत सूचना या परिवाद पर किन्हीं दाण्डिक कार्यवाहियों म अभियोजन ; तथा

1956 का 23 (ख) हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1956 के अधीन नियुक्त सामयिक अथवा मध्यस्थ।

(2) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह अवधारित कर सकेगी कि कौन व्यक्ति उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ लोक अधिकारी समझे जायेंगे।

आदेशिका फीस की सारणियां।

32. आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए प्रभार्य फीसें दर्शित करने वाली एक सारणी अंग्रेजी भाषा में और देशी भाषाओं में, प्रत्येक न्यायालय के सहजदृश्य भाग में अभिदर्शित की जायेगी।

जिला और अधीनस्थ न्यायालयों में चपरासियों की संख्या।

33. (1) उच्च-न्यायालय द्वारा बनाए गए और राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक जिला न्यायाधीश और प्रत्येक जिला मजिस्ट्रेट अपने न्यायालय से तथा अपने अधीनस्थ न्यायालयों में से प्रत्येक से निकाली गई आदेशिकाओं की तामील और निष्पादन के लिए नियोजित किए जाने के लिए आवश्यक चपड़ासियों की संख्या नियत करेगा और उसमें समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा।

1887 का 9 (2) प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 की धारा 5 के अधीन स्थापित प्रत्येक लघुवाद न्यायालय, इस धारा के प्रयोजन के लिए जिला न्यायाधीश के न्यायालय के अधीनस्थ समझा जायेगा।

अध्याय-6

फीसों के उद्ग्रहण के ढंग के विषय में

स्टांप द्वारा फीसों का संग्रहण।

34. धारा 3 में निर्दिष्ट या इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य सब फीसें स्टाम्पों द्वारा संग्रहीत की जायेंगी :

परन्तु यदि, यथास्थिति, पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय के अध्यक्ष अथवा उच्च-न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय का किसी न्यायमूर्ति का यदि समाधान हो जाता है, कि स्टांपित होने वाले दस्तावेज को फाईल करने वाले दिन न्यायालय फीस स्टांप, स्टांप विक्रेता के पास उपलब्ध नहीं है तो वह आदेश दे सकेगा कि न्यायालय फीस किसी भी सरकारी कोष में नकद रूप में संग्रहीत की जाए और उसकी रसीद या चालान उसके प्रभारी

अधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से दिया जायेगा, और ऐसी कोई रसीद या चालान इस अधिनियम तथा तद्धीन नियमों के प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा सकेगा, मानों कि रसीद या चालान संदत्त राशि पर, सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से जारी किए गए स्टाम्प थे।

स्टांपों का छापित या आसंजक होना।

35. इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य किसी फीस को द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टांप छापित या आसंजक अथवा भागत: छापित और भागत: आसंजक होंगे जैसा राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर निदेश दे।

स्टांपों के संदाय, संख्यांकन, नवीकरण और लेखे रखे जाने के लिए नियम।

36. (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित के विनियमन के लिए, समय-समय पर नियम बना सकेगी--

(क) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टांपों का प्रदाय;

(ख) इस अधिनियम के अधीन प्रभार्य फीस का द्योतन करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले स्टांपों की संख्या;

(ग) नुकसानग्रस्त या खराब हुए स्टांपों का नवीकरण; और

(घ) इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए गए सब स्टांपों का लेखा रखना:

परन्तु उच्च न्यायालय में धारा 3 के अधीन उपयोग में लाए गए स्टांपों की दशा में ऐसे नियम उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से बनाए जायेंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन बनाए गए सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे, और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा।

अनवधानता से लिए दस्तावेजों का स्टांपित किया जाना।

37. कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टांप होना चाहिए विधिमान्य नहीं होगी यदि और जब तक कि वह उचित रूप से स्टांपित नहीं है:

किन्तु यदि ऐसा कोई दस्तावेज भूल या अवधानता से किसी न्यायालय या कार्यालय में ले लिया जाता है, फाईल कर लिया जाता है या उपयोग में लाया जाता है तो, यथास्थिति, पीठासीन न्यायाधीश या कार्यालय का प्रधान या उच्च-न्यायालय की दशा में ऐसे न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश, यदि वह ठीक समझे तो, आदेश दे सकेगा कि ऐसी दस्तावेज उसके निदेशानुसार स्टांपित की जाए, और ऐसी दस्तावेज के तदनुसार स्टांपित हो जाने पर वह तथा उससे संबंधित हर कार्यवाही वैसे ही विधिमान्य होगी मानो वह आरम्भ में ही उचित रूप से स्टांपित थी।

संशोधित दस्तावेज।

38. जहां ऐसी कोई दस्तावेज केवल भूल का सुधार करने और उसे पक्षकारों के मूल आशय के अनुरूप बनाने के उद्देश्य से संशोधित की जाती है वहां उस पर नया स्टांप अधिरोपित करना आवश्यक न होगा।

स्टांप का रद्द किया जाना।

39. कोई भी दस्तावेज जिस पर इस अधिनियम के अधीन स्टांप अपेक्षित है किसी भी न्यायालय या कार्यालय में, जब तक स्टांप रद्द नहीं कर दिया जाए तब तक न तो फाईल की जायेगी और न उस पर कार्रवाई की जायेगी।

(2) ऐसा अधिकारी जिसे न्यायालय या कार्यालय का प्रधान समय-समय पर नियुक्त करे, ऐसे किसी दस्तावेज की प्राप्ति पर, तुरन्त उसका रद्धकरण उसके चित्र-शीर्ष को ऐसे

पंच करके करना कि स्टांप पर अभिहित उसका मूल्य अठूता रहे और पंच करने से निकला भाग जला दिया जायगा या अन्यथा नष्ट कर दिया जायेगा ।

अध्याय–7

प्रकीर्ण

दांडिक मामलों में ऐसी दस्तावेजों का ग्रहण किया जाना जिनके लिए उचित फीस संदत्त नहीं की गई है ।

40. जब कभी पीठासीन न्यायाधीश की राय में दण्ड न्यायालय में किसी ऐसी दस्तावेज का, जिसके बारे में उचित फीस संदत्त नहीं की गई है, फाईल या प्रदर्शित किया जाना न्याय की निष्फलता के निवारण के लिए आवश्यक है, तब धारा 4 या धारा 6 में अन्तर्विष्ट कोई भी बात ऐसे फाईल, या प्रदर्शित किए जाने का प्रतिशेष करने वाली न समझी जायेगी ।

स्टांपों का विक्रय ।

41. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन उपयोग में लाए जाने वाले स्टांपों के विक्रय के विनियमन के लिए, उन व्यक्तियों के लिए जिनके द्वारा ऐसा विक्रय किया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्यों और पारिश्रमिक के लिए समय-समय पर नियम बना सकेगी ।

(2) ऐसे सब नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जायेंगे और तदुपरि उन्हें विधि का बल प्राप्त होगा ।

(3) स्टांप बेचने के लिए नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन बनाए गए किसी नियम की अवज्ञा करेगा, और ऐसे नियुक्त न किया गया कोई व्यक्ति जो स्टांप बेचेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा ।

फीस को कम करने या उसका परिहार करने की शक्ति ।

42. राज्य सरकार इस अधिनियम से उपाबद्ध प्रथम या द्वितीय अनुसूची में वर्णित सभी फीसें या उनमें से किसी को भी हिमाचल प्रदेश संघ राज्य के सम्पूर्ण क्षेत्र में या उसके किसी भाग में समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, कम कर सकेगी या परिहार कर सकेगी और उसी रीति से ऐसे आदेश को रद्द कर सकेगी या उसमें फेरफार कर सकेगी ।

उच्च न्यायालय के कुछ अधिकारियों की फीसों में व्यावृत्ति ।

43. इस अधिनियम के अध्याय (2) और (6) की कोई भी बात उन फीसों को जिन्हें उच्च-न्यायालय का कोई अधिकारी अपने नियत संबलग के अतिरिक्त प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात है, लागू नहीं होगी ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

44. संघ राज्य क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में, भारत सरकार गृह मंत्रालय की अधिसूचना संख्या जी-एस-आर-517/[एफ-4/4/63-य0 टी0 एल0-65] तारीख 19 मार्च, 1964

द्वारा यथाविस्तारित है न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 5 के अधीन उस संघ राज्य क्षेत्र में अन्तरित क्षेत्रों में यथा लागू न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है : 1870 का 7 1966 का 31 1870 का 7

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित को ही प्रभावित न करेगा :—

(क) उक्त अधिनियमों का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई कोई बात ; या

(ख) उक्त अधिनियमों के अधीन अर्जित, प्रोदभूत, या उपगत कोई अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता का दायित्व ; या

(ग) उक्त नियमों के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के बारे में उपगत कोई शास्ति समपहरण या दण्ड ; अथवा

(घ) यथापूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दण्ड के बारे में कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार;

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार संस्थित, चालू या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दण्ड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानों कि उक्त अधिनियम निरसित नहीं किए गये थे ।

इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व संस्थित कुछ वादों का अधिग्रहण ।

45. (1) धारा 44 के अधीन निरसित अधिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, मई, 1967 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् संस्थित और इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पूर्व उच्च न्यायालय में, उसकी सामान्य मूल सिविल अधिकारिता के आधार पर और उसके प्रयोग में लम्बित वादों या अन्य कार्यवाहियों में फीस उद्गृहीत की जाएगी मानों की यह अधिनियम उन तारीखों को प्रवृत्त था जिनको ऐसी कार्यवाहियां संस्थित की गई थीं ।

(2) उच्च-न्यायालय के समक्ष उसकी सामान्य मूल सिविल अधिकारिता के आधार पर और उसके प्रयोग में मई, 1967 के प्रथम दिन को या उसके पश्चात् संस्थित किये गय तथा अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व निपटाए गए वादों या अन्य कार्यवाहियों में उद्गृहीत कोई फीस, विधि अनुसार उद्गृहीत की गई समझी जायेगी ।

अनुसूची-1

(धारा 3 देखिए)

मूल्यानुसार फीसें

संख्यांक			उचित फीस
1	2	3	4
1.	उन्हें छोड़कर जो धारा 3 में वर्णित है, किसी सिविल या राजस्व न्यायालय में उपस्थापित वादपत्र, मुजराई या प्रतिपदावा का अभिवचन करने वाला लिखित कथन या अपील का ज्ञापन (जो इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित नहीं है) या प्रत्याक्षेप का ज्ञापन ।	जब रकम या विवादग्रस्त विषय वस्तु का मूल्य पांच रुपये से अधिक नहीं है ।	पचास पैसे
		जब ऐसी रकम या मूल्य पांच रुपये से अधिक है, तब पांच रुपये से ऊपर क, हर पांच रुपय या उसके भाग पर सौ रुपये तक ।	पचास पैसे
		जब ऐसी रकम या मूल्य सौ रुपये से अधिक है, किन्तु पांच सौ रुपये	एक रुपया

1	2	3	4
		से अधिक नहीं है, तब एक सौ रुपये से ऊपर के हर दस रुपये या उसके भाग पर पांच सौ रुपये तक।	
		जब ऐसी रकम या मूल्य पांच सौ रुपये से अधिक है तब हर दस रुपये या उसके भाग पर, एक हजार रुपये तक।	एक रुपया पचास पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य एक हजार रुपये से अधिक है, तब एक हजार रुपये के ऊपर, हर एक सौ रुपये या उसके भाग पर, पांच हजार रुपये तक।	बारह रुपये बीस पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य पांच हजार रुपये से अधिक है, तब पांच हजार रुपये के ऊपर हर दो सौ रुपये या उसके भाग पर, पांच हजार रुपये तक।	चौबीस रुपये चालीस पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य दस हजार रुपये से अधिक है तब दस हजार रुपये के ऊपर, हर पांच सौ रुपये या उसके भाग पर, बीस हजार रुपये तक।	छत्तीस रुपये पचास पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य बीस हजार रुपये से अधिक है तब बीस हजार रुपये के ऊपर, हर एक हजार रुपये या उसके भाग पर, तीस हजार हजार रुपये तक।	अड़तालीस रुपये अस्सी पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य तीस हजार हजार रुपये से अधिक है तब तीस हजार रुपये के ऊपर, हर दो हजार रुपये या उसके भाग पर, पच्चास रुपये तक।	अड़तालीस रुपये अस्सी पैसे।
		जब ऐसी रकम या मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है तब पचास हजार रुपये के ऊपर, हर पांच हजार रुपये या उसके भाग पर।	अड़तालीस रुपये अस्सी पैसे।
2.	विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 6 के अधीन कब्जे के बाद में वादपत्र।		पूर्वगामी माप-मान में विहित रकम की आधी फीस।
3.	निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, यदि वह डिक्री की तारीख		वादपत्र या अपील के

1	2	3	4
	से नब्बवें दिन या तत्पश्चात् उपस्थापित किया गया है ।		ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस ।
4.	निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, यदि वह डिक्री की तारीख से नब्बवे दिन के पहले उपस्थापित किया गया है ।		वादपत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस की आधी ।
5.	निर्णय की या ऐसे आदेश की, जो डिक्री नहीं है या जिसे डिक्री का बल प्राप्त नहीं है, प्रतिलिपि ।	जब ऐसा निर्णय या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय या कार्यालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा या किसी अन्य न्यायिक या कार्यपालक अधिकारी द्वारा पारित किया गया है।	एक रुपया पच्चीस पैसे।
		जब ऐसा निर्णय का आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया है ।	दो रुपये पैंसठ पैसे ।
6.	डिक्री या डिग्री के बल वाले आदेश की प्रतिलिपि ।	जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय द्वारा या किसी राजस्व न्यायालय द्वारा किया गया है ।	दो रुपये पैंसठ पैसे ।
		जब ऐसी डिक्री या आदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।	पांच रुपये पच्चीस पैसे ।
7.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन स्टाम्प शुल्क के लिए दायी किसी दस्तावेज की प्रतिलिपि । जब वह वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा भूल के स्थान पर वापिस ली जाए परन्तु यह तब जब ऐसी प्रतिलिपि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) के अधीन किसी शुल्क के लिए दायी न हो ।	(क) जब कि भूल पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क पचहत्तर पैसे से अधिक है ।	भूल पर प्रभार्य शुल्क ।
		(ख) किसी अन्य दशा में ।	एक रुपया ।
8.	ऐसी राजस्व या न्यायिक कार्यवाही या आदेश की प्रतिलिपि, जिनके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, या किसी सिविल या दाण्डिक या राजस्व न्यायालय या कार्यालय से या किसी खण्ड के कार्यपालक प्रशासन का भार साधन करने वाले मुख्य अधिकारी के कार्यालय से ली गई किसी लेखा, विवरण, रिपोर्ट या ऐसे ही अन्य दस्तावेज की प्रति लिपि ।	प्रति तीन सौ साठ शब्दों या उनके भाग के लिए ।	पैंसठ पैसे ।

1	2	3	4
9.	बिल का प्रोबेट या प्रशासन-पत्र चाहे बिल उपाबद्ध हो या नहीं ।	जब वह रकम या उस सम्पत्ति का मूल्य जिसके बारे में प्रोबेट या प्रशासन पत्र अनुदत्त किया जाता है, एक हजार रुपये से अधिक है किन्तु दस हजार से अधिक नहीं है ।	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का अढ़ाई प्रतिशत ।
		जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य दस हजार रुपये से अधिक है किन्तु पचास हजार रुपये से अधिक नहीं है ।	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का सवा तीन प्रतिशत ।
		जब ऐसी रकम या ऐसा मूल्य पचास हजार रुपये से अधिक है ।	ऐसी रकम या ऐसे मूल्य का चार प्रतिशत :

परन्तु जब सम्पदा में सम्मिलित किसी सम्पत्ति के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन या मुबई संहिता के 1827 के विनियम संख्यांक VIII के अधीन प्रमाण पत्र अनुदत्त किए जाने के पश्चात् उसी संपदा के बारे में प्रोबेट या प्रशासन पत्र अनुदत्त किया जाता है तब पश्चात्वर्ती अनुदान के बारे में संदेय फीस में से उस फीस की रकम घटा दी जाएगी जो पूर्ववर्ती अनुदान के बारे में संदत्त की गई है ।

10.	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) के अधीन प्रमाण-पत्र ।	किसी भी मामले में ।	उस अधिनियम की धारा 374 के अधीन प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट ऋण या प्रतिभूति की रकम या मूल्य का अढाई प्रतिशत और उस ऋण या प्रतिभूति की रकम या मूल्य का जिस पर प्रमाण-पत्र का विस्तार

1	2	3	4
			उस अधिनियम की धारा 376 के अधीन किया जाता है चार प्रतिशत ।

टिप्पण:—(1) ऋण की रकम, जिस के अन्तर्गत ब्याज आता है, वह रकम है जो उस दिन है जब ऋण को प्रमाण-पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है, जहां तक वह रकम अभिनिश्चित की जा सकती है।

(2) चाहे प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट किसी प्रतिभूति के बारे में कोई शक्ति अधिनियम के अधीन प्रदत्त की गई हो या नहीं, और जहां ऐसी शक्ति इस प्रकार प्रदत्त की गई है वहां चाहे वह शक्ति प्रतिभूति पर ब्याज या लाभांश प्राप्त करने के लिए हो या प्रतिभूति का परक्रामण या अंतरण करने के लिए हो या दोनों प्रयोजनों के लिए हो, प्रतिभूति का मूल्य उसका उस दिन का बाजार मूल्य है जब प्रतिभूति को प्रमाण-पत्र में सम्मिलित करने के लिए आवेदन किया जाता है जहां तक कि वह मूल्य अभिनिश्चित किया जा सकता है।

11. हिमाचल प्रदेश (न्यायालय) आदेश, 1948 के पैराग्राफ 35 के अधीन उच्च न्यायालय में उसकी अधिकारिता के प्रयोग के लिए या हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 (1974 का 8) की धारा 63 के अधीन हिमाचल प्रदेश के वित्तीय आयुक्त के न्यायालय में उसकी पुनरीक्षण अधिकारिता के प्रयोग के लिए आवेदन ।	जब रकम या विवादाग्रस्त विषय वस्तु का मूल्य पच्ची रुपये से अधिक नहीं है ।	दो रुपये पैंसठ पैसे ।
	जब ऐसी रकम या मूल्य पच्चीस रुपये अधिक है ।	अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणीय फीस ।

वादों के संस्थित किए जाने पर मूल्यानुसारी उद्ग्रहणीय फीसों की दरों पर सारणी

जब रकम या विषयवस्तु का मूल्य निम्नलिखित से अधिक है	किन्तु निम्नलिखित से अधिक नहीं है	उचित फीस
1	2	3
रुपये	रुपये	रुपय
—	5	0.50
5	10	1.00

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
10	15	1.50
15	20	2.00
20	25	2.50
25	30	3.00
30	35	3.50
35	40	4.00
40	45	4.50
45	50	5.00
50	55	5.50
55	60	6.00
60	65	6.50
65	70	7.00
70	75	7.50
75	80	8.00
80	85	8.50
85	90	9.00
90	95	9.50
95	100	10.00
100	110	11.00
110	120	12.00
120	130	13.00
130	140	14.00
140	150	15.00
150	160	16.00
160	170	17.00
170	180	18.00
180	190	19.00
190	200	20.00
200	210	21.00
210	220	22.00
220	230	23.00
230	240	24.00
240	250	25.00
250	260	26.00
260	270	27.00
270	280	28.00
280	290	29.00
290	300	30.00
300	310	31.00
310	320	32.00
320	330	33.00
330	340	34.00
340	350	35.00
350	360	36.00

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
360	370	37.00
370	380	38.00
380	390	39.00
390	400	40.00
400	410	41.00
410	420	42.00
420	430	43.00
430	440	44.00
440	450	45.00
450	460	46.00
460	470	47.00
470	480	48.00
480	490	49.00
490	500	50 00
500	510	76.00
510	520	78.00
510	530	79.50
520	540	81.00
530	550	82.50
540	560	84.00
550	570	85.50
560	580	87.00
570	590	88.50
580	600	90.00
590	610	91.50
590	620	93.00
600	630	94.50
610	640	96.00
620	650	97.50
630	660	99.00
640	670	100.50
650	680	102.00
660	690	103.50
670	700	105.00
680	710	106.50
690	720	108.00
700	730	109.50
710	740	111.00
720	750	112.50
730	760	114.00
740	770	115.50
750	780	117.00
760	790	118.50
770		
780		

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
790	800	120.00
800	810	121.50
810	820	123 00
820	830	124.50
830	840	126.00
840	850	127.50
850	860	129.00
860	870	130.50
870	880	132.00
880	890	133.50
890	900	135.00
900	910	136.50
910	920	138.00
920	930	139.50
930	940	141.00
940	950	142.50
950	960	145.00
960	970	145.50
970	980	147.00
980	990	148.50
990	1000	150.00
1000	1100	162.20
1100	1200	174.40
1200	1300	186.60
1300	1400	198.80
1400	1500	211.00
1500	1600	223.20
1600	1700	235.40
1700	1800	247.60
1800	1900	259.80
1900	2000	272.00
2000	2100	284.20
2100	2200	296.40
2200	2300	308.60

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
2300	2400	320.80
2400	2500	333.00
2500	2600	345.20
2600	2700	357.40
2700	2800	369.60
2800	2900	381.80
2900	3000	394.00
3000	3100	406.20
3100	3200	418.40
3200	3300	430.60
3300	3400	442.80
3400	3500	455.00
3500	3600	467.20
3600	3700	479.40
3700	3800	491.60
3800	3900	503.80
3900	4000	516.00
4000	4100	528.20
4100	4200	540.40
4200	4300	552.60
4300	4400	564.80
4400	4500	577.00
4500	4600	589.20
4600	4700	601.40
4700	4800	613.60
4800	4900	625.80
4900	5000	638.00
5000	5250	662.40
5250	5500	686.80
5500	5750	711.20
5750	6000	735.60
6000	6250	760.00
6250	6500	784.40
6500	6750	808.80

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
6750	7000	833.20
7000	7250	857.60
7250	7500	882.00
7500	7750	906.40
7750	8000	930.80
8000	8250	955.20
8250	8500	979.60
8500	8750	1004.00
8750	9000	1028.40
9000	9250	1052.80
9250	9500	1077.20
9500	9750	1101.60
9750	10000	1126.00
10000	10500	1162.50
10500	11000	1199.00
11000	11500	1235.50
11500	12000	1272.00
12000	12500	1308.50
12500	13000	1345.00
13000	13500	1381.50
13500	14000	1418.00
14000	14500	1454.50
14500	15000	1491.00
15000	15500	1527.50
15500	16000	1564.00
16000	16500	1600.50
16500	17000	1637.00
17000	17500	1673.50
17500	18000	1710.00
18000	18500	1746.50
18500	19000	1783.00
19000	19500	1819.50
19500	20000	1856.00
20000	21000	1904.80
21000	22000	1953.60
22000	23000	2002.40
23000	24000	2051.20
24000	25000	2100.00

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
25000	26000	2148.80
26000	27000	2197.60
27000	28000	2246.40
28000	29000	2295.00
29000	30000	2344.00
30000	32000	2392.80
32000	34000	2441.60
34000	36000	2490.40
36000	38000	2539.40
38000	40000	2588.00
40000	42000	2636.80
42000	44000	2685.60
44000	46000	2734.40
46000	48000	2783.20
48000	50000	2832.00
50000	55000	2880.80
55000	60000	2929.60
60000	65000	2978.40
65000	70000	3027.20
70000	75000	3076.00
75000	80000	3124.80
80000	85000	3173.60
85000	90000	3222.40
90000	95000	3271.20
95000	100000	3320.00
100000	105000	3368.80
105000	110000	3417.60
110000	115000	3466.40
115000	120000	3515.20
120000	125000	3564.00
125000	130000	3612.80
130000	135000	3661.60
135000	140000	3710.40
140000	145000	3759.20
145000	150000	3808.00
150000	155000	3856.80
155000	160000	3905.60
160000	165000	3954.40
165000	170000	4003.20
170000	175000	4052.00
175000	180000	4100.80

1	2	3
रुपये	रुपये	रुपये
180000	185000	4149.60
185000	190000	4198.40
190000	195000	4247.20
195000	200000	4296.00
200000	205000	4344.80
205000	210000	4393.60
210000	215000	4442.40
215000	220000	4491.20
220000	225000	4540.00
225000	230000	4588.80
230000	235000	4637.60
235000	240000	4686.40
240000	245000	4735.20
245000	250000	4784 00
250000	255000	4832.80
255000	260000	4881.60
260000	265000	4930.40
265000	270000	4979.20
270000	275000	5028.00
275000	280000	5076.80
280000	285000	5125.60
285000	290000	5174.40
290000	295000	5223.20
295000	300000	5272.00
300000	305000	5320.80
305000	310000	5369.60
310000	315000	5418.40
315000	320000	5467.20
320000	325000	5516.00
325000	330000	5564.80
330000	335000	5613.60
335000	340000	5662.40
340000	345000	5711.20
345000	350000	5760.00
350000	355000	5808.80
355000	360000	5857.60
360000	365000	5906.40
365000	370000	5955.20
370000	375000	6004.00
375000	380000	6052.80
380000	385000	6101.60
385000	390000	6150.40
390000	395000	6199.20
395000	400000	6248.00

और जब विषय-वस्तु की रकम या मूल्य 4,00,000 रुपये (चार लाख रुपये) से अधिक है तो 6,248 (छः हजार दो सौ अड़तालीस रुपये) के अतिरिक्त 4,00,000 रुपये (चार लाख रुपये) से अधिक प्रत्येक पांच हजार रुपये या उसके भाग के लिए अड़तालीस रुपये अस्सी पैसे, उचित उदग्राह्य फीस होगी।

अनुसूची-2

(धारा 3 देखें)

संख्यांक	नियत फीसें	उचित फीस
1	2	3
1. आवेदन या अर्जी।	(क) जब वह सरकार से व्यवहार रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा सीमा-शुल्क या आबकारी विभाग के किसी अधिकारी को या किसी मैजिस्ट्रेट को पेश की जाती है, और जब विषय-वस्तु या आवेदन अनन्यतः उस व्यवहार के संबंध में है ;	चालीस पैसे।
	या जब वह सीधे सरकार से किए गए वचन-बंध के अधीन अस्थाई तौर पर व्यवस्थापित भूमि के धारक व्यक्ति द्वारा भू-राजस्व के किसी अधिकारी को पेश की जाती है, और जब आवेदन या अर्जी का विषय वस्तु अनन्यतः उस वचनबद्ध के संबंध में है ;	
	या जब वह किसी नगरपालिका आयुक्त को किसी स्थान की सफाई या सुधार के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन पेश की जाती है यदि आवेदन या अर्जी ऐसी सफाई या सुधार के संबंध में ही है ;	
	या जब वह आरम्भिक अधिकारिता वाले प्रयास सिविल न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय में या प्रान्तीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम, 1887 (1887 का 9) की धारा 5 के अधीन स्थापित किसी लघुवाद न्यायालय में या कलक्टर या राजस्व के अन्य अधिकारी को किसी ऐसे वाद या मामले के संबंध में पेश की जाती है जिसकी रकम या विषय-वस्तु का मूल्य पचास रुपये से कम है ;	
	या जब वह किसी सिविल, दाण्डक या राजस्व न्यायालय में किसी बोर्ड में या किसी कार्यपालक अधिकारी को ऐसे न्यायालय बोर्ड या अधिकारी द्वारा पारित किसी निर्णय, डिक्री या आदेश की या ऐसे न्यायालय या कार्यालय के अभिलेख की किसी अन्य दस्तावेज की प्रतिलिपि या अनुवाद अभिप्राप्त करने के लिए पेश की जाती है।	

1	2	3
	(ख) जब उसमें ऐसे अपराध से भिन्न, जिसके लिए पुलिस अधिकारी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) के अधीन बिना वारन्ट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी अपराध का परिवाद या आरोप अन्तर्विष्ट है, और वह किसी दण्ड न्यायालय में पेश की जाती है ;	
	या जब वह सिविल, दाण्डिक या राजस्व न्यायलय में या किसी राजस्व अधिकारी के यहां जिसकी अधिकारिता कलक्टर की अधिकारिता के बराबर या अधीनस्थ है, या किसी मैजिस्ट्रेट के यहां उसकी कार्यपालक हैसियत में पेश की जाती है, और उसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है ;	एक रुपया पच्चीस पैसे ।
	या जब वह न्यायालय में राजस्व या भाटक का निक्षेप करने के लिए, या न्यायालय द्वारा भू-स्वामी से अपने अभिधारी को संदत्त किए जाने वाले प्रतिकर की रकम के अवधारण के लिए है ;	
	(ग) जब वह मुख्य नियंत्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी, या राजस्व या सर्किट के आयुक्त के यहां या मण्डल के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक किसी मुख्य अधिकारी के यहां पेश की जाती है और उसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं किया गया है।	
	(घ) जब वह उच्च न्यायालय में पेश की जाती है :—	
	(*i*) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन कम्पनी के परिसमापन के लिए ;	दो सौ साठ रुपये ।
	(*ii*) उसी अधिनियम के अधीन कोई अन्य न्यायिक कार्रवाई करने के लिए ;	तेरह रुपये
	(*iii*) बन्दी प्रत्यक्षीकरण अर्जियों और दाण्डिक प्रक्रिया से उत्पन्न होने वाली अर्जियों से भिन्न के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन ;	पचास रुपये
	(*iv*) सभी अन्य मामलों में।	दो रुपये पैंसठ पैसे ।
2. किसी सिविल न्यायालय में यह आवेदन कि अन्य न्यायालय से अभिलेख मंगाए जाएं ।	जब न्यायालय आवेदन मंजूर कर लेता है और उसकी राय में ऐसे अभिलेखों के परीक्षण में डाक का उपयोग अन्तर्विलित है ।	उस आवेदन पर इस अनुसची 1 क खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (घ) क अधीन उद्गृहीत

1	2	3
		फीस के अतिरिक्त एक रुपया ।
3. अकिंचन के तौर पर वाद लाने की इजाजत के लिए आवेदन ।		एक रुपया पच्चीस पैसे ।
4. अकिंचन के तौर पर अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन ।	(क) जब वह जिला न्यायालय में पेश की जाती है ।	एक रुपया पच्चीस पसे ।
	(ख) जब वह आयुक्त के यहां या उच्च न्यायालय मे पेश की जाती है ।	दो रुपये पैंसठ पैसे ।
5. अधिभोग के अधिकार को साबित करन के लिए वाद-पत्र या अपील का ज्ञापन ।		एक रुपया पच्चीस पैसे ।
6. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय या मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए आदेश के अनुसरण में दिया गया जमानतनामा या बाध्यता की अन्य लिखित जिसके लिए इस अधिनियम द्वारा अन्यथा उपबंधित नहीं है ।		पैंसठ पैसे
7. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) की धारा 49 के अधीन परिवचन ।		एक रुपया पच्चीस पसे ।
8. मुख्तारनामा या वकालत नामा	जब वह किसी एक मामले के संचालन के लिए—	
	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल या दण्ड न्यायालय में या किसी कलक्टर या मजिस्ट्रेट या अन्य कार्यपालक अधिकारी के यहां, जो उनसे भिन्न है जो इस संख्यांक के खण्ड (ख) और	एक रुपया पच्चीस पैसे ।

1	2	3
	(ग) में वर्णित है, पेश किया जाता है।	
	(ख) राजस्व, सर्किट या सीमा-शुल्क के आयुक्त के यहां या मण्डल के कार्यपालक प्रशासन के भारसाधक अधिकारी के यहां, जो मुख्य राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी नहीं है, पेश किया जाता है।	एक रुपया पच्चीस पैसे।
	(ग) उच्च न्यायालय, राजस्व बोर्ड या अन्य मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी के यहां पेश किया जाता है।	दो रुपये पैंसठ पैसे।
9. अपील का ज्ञापन जब वह अपील डिक्री के या डिक्री का बल रखने वाले आदेश के विरुद्ध नहीं है, और वह पेश किया जाता है।	(क) उच्च न्यायालय से भिन्न किसी सिविल न्यायालय या उच्च न्यायालय अथवा मुख्य नियन्त्रक राजस्व या कार्यपालक प्राधिकारी से भिन्न किसी राजस्व न्यायालय म या कार्यपालक अधिकारी के यहां।	एक रुपया
	(ख) उच्च न्यायालय में या मुख्य नियन्त्रक कार्यपालक या राजस्व अधिकारी के यहां।	पांच रुपये पच्चीस पैसे।
10. केवियट		छह रुपये पच्चास पैसे।
11. संपरिवर्ती विवाह विघटन अधिनियम, 1866 (1866 का 21) के अधीन वाद में अर्जी।		छह रुपये पच्चास पैसे।
12. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 (1954 का 43) या हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 (1955 का 25) के अधीन प्रत्येक अर्जी या आवेदन अथवा ज्ञापन या अपील।		उन्नीस रुपये पच्चास पैसे।

1	2	3
13. निम्नलिखित वादों में से हर एक में वादपत्र या अपील:—		
(*i*) ऐसे सिविल न्यायालयों में से जो लटर्ज पेटेण्ट द्वारा स्थापित नहीं है किसी का या किसी राजस्व न्यायालय का संक्षिप्त विनिश्चय या आदेश परिवर्तित या अपास्त कराने के के लिए वाद ;		उन्नीस रुपय पच्चास पैसे ।
(*ii*) राजस्व संदायों संपदाओं के स्वामियों के नामों के रजिस्टर में की कोई प्रविष्टि परिवर्तित या रद्द करने के लिए वाद ;		
(*iii*) घोषणात्मक डिक्री अभिप्राप्त करने के लिए वाद, जहां कोई पारिणामिक अनुतोष प्रार्थित नहीं है ;		
(*iv*) पंचाट अपास्त करान के लिए वाद ;		
(*v*) दत्तक ग्रहण अपास्त कराने के लिए वाद;		
(*vi*) हर अन्य वाद जिसमें विवादग्रस्त विषय-वस्तु का मूल्य धन के रूप में प्राक्कलित करना संभव नहीं है और जिसके लिए इस अधिनियमद्वारा अन्यथा उपबन्धित नहीं है ।		
14. भारतीय मध्यस्थम अधिनियम, 1940 (1940 का 10) की धारा 20 के अधीन आवेदन ।		तेरह रुपये

1	2	3
15. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन न्यायालय की राय के लिए प्रश्न का कथन करने वाला लिखित करार ।		तेरह रुपये
16. भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 की धारा 44 के अधीन अर्जियों के सिवाय उस अधिनियम के अधीन हर अर्जी और धारा 55 के अधीन हर अपील का ज्ञापन ।		उनतालीस रुपये ।
17. पारसी मैरिज एण्ड डाईवोर्स ऐक्ट, 1936 (1936 का 3) के अधीन वादपत्र या अपील का ज्ञापन ।		उनतालीस रुपये ।
18. हिमाचल प्रदेश रूढ़िगत विधि के अधीन पैतृक भूमि के अन्य संक्रामण के बारे में घोषणा के लिए उत्तरभोगी द्वारा वाद के वादपत्र या अपील का ज्ञापन ।		उन्नीस रुपये पच्चास पैसे ।
19. हिमाचल प्रदेश में यथा प्रवृत्त ईस्ट पंजाब अर्बन रैन्ट रैसट्रिक्शन ऐक्ट, 1949 (1949 का 3) के अधीन राहत के लिए आवेदन या अपील का ज्ञापन ।		तेरह रुपये
20. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अधीन धन (चाहे प्रतिभूत या अप्रतिभूत) के लिए दावे या ऐसे दावों या प्रति दावों क	(क) जहां रकम 2,500 रुपये से अधिक नहीं है । (ख) जहां रकम 2500 रुपये से अधिक है किन्तु 10,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	उन्नीस रुपये पच्चास पैसे । उनतालीस रुपय ।

1	2		3
विरुद्ध किए गए मुजरा के लिए दावा ।	(ग)	जहां रकम 10,000 रुपये से अधिक है ।	पैंसठ रुपये
21. बैंककारी अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के उपबन्धों से और के अधीन पारित आदेश या विनिश्चय से अपील का ज्ञापन ।	(क)	जहां रकम 5000 रुपये से अधिक है किन्तु 10,000 रुपये से अधिक नहीं है ।	अठहत्तर रुपये
	(ख)	जहां रकम 10,000 रुपये से अधिक है ।	एक सौ तीस रुपये ।

अनुसूची-3

(धारा 27 देखें)

मूल्यांकन का प्ररूप (आवश्यक परिवर्तनों सहित, यदि कोई हो, प्रयोग में लाया जाए)

.....के न्यायालय में

मृत्तक.....की विल के प्रोबेट (या की संपत्ति और उधारों के प्रशासन के मामले में)

मैं.....सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान/शपथ लेता हूं और कहता हूं कि मैं मृतक.....का निष्पादक (या के निष्पादकों में से एक या का निकटतम कुल्य हूं और मैंने इस शपथपत्र के उपाबन्ध "अ" में वह सब सम्पत्ति और उधार सही तौर पर उपवर्णित कर दिए हैं जिन पर मृत्तक अपनी मृत्यु के समय कब्जा रखता था या हकदार था और जो मेरे हाथों में आ गए हैं या आने संभाव्य हैं।

2. मैं यह भी कहता हूं कि मैंने उपाबन्ध "आ" में वे सब मदें सही तौर पर उपवर्णित कर दी हैं जिन्हें काटने के लिए मैं विधि द्वारा अनुज्ञात हूं ।

3. मैं यह भी कहता हूं कि उक्त आस्तियों, केवल अन्तिम वर्णित मदों को सम्मिलित न करते हुए, किन्तु उक्त मृत्तक की मृत्यु तारीख से सब भाटकों, ब्याज, लाभाशों और बढ़े हुए मूल्यों को सम्मिलित करते हुए, निम्नलिखित से कम मूल्य की है--

उपाबन्ध "अ"

मृत्तक की जंगम और स्थावर सम्पत्ति का मूल्यांकन	रुपये
घर में तथा बैंकों में नकद, घर गृहस्थी का सामान, पहनने के वस्त्र, पुस्तकें, सोना चांदी, रत्न आदि (निष्पादक या प्रशासक के सर्वोत्तम विश्वास के अनुसार प्राक्कलित मूल्य लिखिए)	

सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में सम्पत्ति जो लोक ऋण कार्यालय में अन्तरणीय है (उसका वर्णन और उस दिन की कीमत के हिसाब से मूल्य लिखिए, आवदन करने के समय तक गणना करके ब्याज भी अलग लिखिए)

स्थावर सम्पत्ति अर्थात्--

(गृहों की दशा में निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो, और उन वर्षों की संख्या जितनों के निर्धारण पर बाजार मूल्य प्राक्कलित किया गया है, और भूमि की दशा में उसका क्षेत्रफल, बाजार मूल्य और सब प्रोद्भूत भाटक दिखाते हुए, वर्णन लिखिए)

पट्टाधृत सम्पत्ति रुपये

(यदि मृत्तक कुछ वर्षों के उपरांत पर्यवसेय पट्टाधारण करता था तो मृत्यु की तारीख को शोध्य बकाया और उस तारीख से आवेदन करने की तारीख तक प्राप्त था शोध्य भाटक पृथक दिखाते हुए लिखिए कि कितने वर्षों के भाटक के बराबर लाभ-भाटक प्राक्कलित किया गया है)

सार्वजनिक कंपनियों में सम्पत्ति

(विशिष्टियां और उस दिन की कीमत की दर से गणना करके मूल्य लिखिए, ब्याज आवेदन करने के समय तक गणना करके पृथक लिखिए)

जीवन बीमा पालिसी, बंधक या अन्य प्रतिभूतियों में, जैसे बंधपत्रों, बंधकों, विनिमयपत्रों, वचनपत्रों और धन की अन्य प्रतिभूतियों में लगा हुआ रुपया।

(सब को मिलाकर रकम लिखिए, ब्याज पृथकत: आवेदन करने के समय तक गणना करके लिखिए)

वही ऋण--
(डूबन्त से भिन्न)
व्यापार स्टाक--
(प्राक्कलित मूल्य, यदि कोई हो, लिखिए)
अन्य सम्पत्ति जो पूर्वगामी शीर्षों में नहीं आई है)
(प्राक्कलित मूल्य, यदि कोई हो, लिखिए)

योग.....

उपाबन्ध "आ" में दिखाई गई रकम की जिस पर शुल्क संदेय नहीं है कटौती.....

शुद्ध योग.....

उपाबन्ध "आ"

रुपये

ऋण आदि की अनुसूची

मृत्तक से शोध्य और उसके द्वारा देय ऋणों की रकम, जो विधि के अनुसार संपदा म से संदेय है।

अंत्येष्टि व्यय की रकम .....

बन्धक-विल्लंगमों की रकम .....

बिना फायदाप्रद हित और बिना फायदाप्रद
हित प्रदत्त करन की साधारण शक्ति क न्यासत:
धारित सम्पत्ति.....
अन्य सम्पत्ति जिस पर शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है

.....

योग .....

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।